औरत के लिये
बनाव-सिंगार के शरई अह्काम
लेखक
मौलाना मुफ़्ती कमालुद्दीन साहिब राशिदी

औ़रत के लिये

बनाव-सिंगार के शरई अहकाम

लेखक

मौलाना मुफ़्ती कमालुद्दीन साहिब राशिदी

हिन्दी अनुवादः मुहम्मद इमरान क़ासमी

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा. लि.)

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज

नई दिल्ली-110002

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब	औ़रत के लिये बनाव-सिंगार के शरई अहकाम
लेखक	मौलाना मुफ़्ती कमालुद्दीन राशिदी
हिन्दी अनुवाद	मुहम्मद इमरान क़ासमी
संयोजक	मुहम्मद नासिर ख़ान
तायदाद	2100
प्रकाशन वर्ष	अगस्त 2006
कम्पोज़िंग	इमरान कम्प्यूटर्स मुज़फ़्फ़र नगर (0131-2442408)

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई देहली-110002

फ़ोन आफ़िस, 23289786, 23289159 आवास, 23280786

फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

इन्तिसाब

मैं अपनी इस मामूली सी कोशिश को अपने प्यारे माँ-बाप के नाम मन्सूब करता हूँ। जिन्होंने अत्यन्त शफ़कत और मेहरबानी से मुझे कलम पकड़ना सिखाया। और अपने उन उस्ताज़ों के नाम करता हूँ जिनकी तालीम व तरबियत (शिक्षा देने और तहज़ीब व अख़लाक़ सिखाने) की बदौलत अल्लाह तआ़ला ने मुझे लिखने की तौफीक इनायत फ़रमाई।

मुहम्मद कमालुद्दीन अहमद राशिदी

इरशादे आ़ली

हज़रत अ़ल्लामा मौलाना
हबीबुल्लाह मिस्बाह साहिब दामत् बरकातुहुम

(अध्यक्ष जामिया ज़िन्नूरैन चाटखे़ल)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नह्मदुहू व नुसल्ली अ़ला रसूलिहिल् करीम।

अल्लाह की तारीफ़ और रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद अ़र्ज़ है:

इस फ़ितनों से भरे दौर में शरई अहकाम के मुताबिक़ अ़मल करना कोई आसान काम नहीं। इस राह में बेशुमार रुकावटें और कठिनाईयाँ पेश आती हैं। लेकिन यह भी हक़ीक़त है कि उन मुश्किलात को पार करके और बाधाओं व रुकावटों को दूर करके शरई अहकाम के मुताबिक़ अ़मल करना मज़बूत ईमान और अ़मल में पुख़्तगी की दलील है। क़ुरआन व हदीस की रू से इसका अज्र व सवाब भी बहुत ज़्यादा है।

इस वक़्त हमारे समाज में ख़ुराफ़ात और बुराईयों का एक तबाहकुन सैलाब उमड़ आया है। हर तरफ़ बेदीनी और

अल्लाह तआ़ला के अहकाम की खि़लाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) आ़म है। मर्दों के साथ-साथ औ़रतें भी इससे बची नहीं हैं। औ़रतों में बनाव-सिंगार एक फ़ितरी और पैदाईशी चीज़ है, मगर इसमें भी शरई हदों, सीमाओं और शर्तों से बाहर निकलना किसी मुसलमान औ़रत के लिये दुरुस्त नहीं। औ़रतों को अपना फ़ितरी हक़ शरीअ़त के दायरे में रहते हुए इस्तेमाल करना चाहिये।

इस बारे में रिसाला "औ़रत के लिये बनाव-सिंगार के शरई अहकाम" को देखकर बड़ी ख़ुशी और बेहद प्रसन्नता हुई। इस विषय पर यह एक नई किताब और बिल्कुल अलग कि़स्म की तहरीर है।

किताब के लेखक बरखुरदार मुफ़्ती मुहम्मद कमालुद्दीन अहमद राशिदी साहिब (अल्लाह तआ़ला उन्हें सलामत रखे) ने बड़ी मेहनत और सलीक़े से इसे तरतीब दिया है। मुस्लिम औ़रतों के लिये बहुत ही मुफ़ीद किताब है और यह हर मुस्लिम घराने की ज़रूरत है।

मुसलमान औ़रतों से गुज़ारिश है कि इसे ज़रूर पढ़ें और इसके मुताबिक़ अ़मल करने की कोशिश करें।

दुआ़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला किताब के लेखक जनाब मौलाना मुहम्मद कमालुद्दीन साहिब की नेक

ज़िन्दगी लम्बी फ़रमाये और उसमें बरकत व सेहत अ़ता फ़रमाये और उनकी दीनी और इल्मी ख़िदमात को क़बूलियत के सम्मान से नवाज़े और इसे ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत बना दे। आमीन।

हबीबुल्लाह मिस्बाह
(अध्यक्ष जामिया ज़िन्नूरैन, चाटख़ेल)

राय मुबारक

हज़रत मौलाना मुफ़्ती असग़र अ़ली रब्बानी साहिब

(उस्ताज़े हदीस जामिया दारुल् उलूम कराची)

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम।

नह्मदुहू व नुसल्ली अ़ला रसूलिहिल् करीम।

अल्लाह की तारीफ़ और रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद अर्ज़ है:

इस्लाम ने औ़रत को जो मर्तबा व मक़ाम अ़ता फ़रमाया है, किसी दूसरे मज़हब या तहज़ीब व सभ्यता में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और पश्चिम ने तो औ़रत का सिवाये शोषण के और कुछ दिया ही नहीं।

यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि औ़रत के वजूद के बग़ैर कुदरत की ये सारी गुलकारियाँ और रंगीनियाँ सूनी-सूनी हैं। औ़रत के बग़ैर ज़िन्दगी वीरान और बेमज़ा है। दुनिया की सारी रंगीनी और दिलचस्पी औ़रत ही के दम से है। औ़रत इस कायनात का असली हुस्न है। इनसानी सभ्यता का केन्द्र, धूहर और बाग़े इनसानियत की

बहार है। ज़िन्दगी में क़िस्म-क़िस्म के रंग भरने वाली, ज़िन्दगी को रंगीन और ख़ुशियों से भरा बनाने वाली औरत ही है। यही औरत मर्द के लिये ख़ुशी का ख़ज़ाना और राहत का सरमाया है।

लेकिन इन सब ख़ूबियों के बावजूद औरत अगर इस्लामी ज़िन्दगी और उसकी सन्तुलित तालीमात को पीठ पीछे डालकर अपनी मर्ज़ी से और अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक़ चले, इस्लामी अहकाम के उलट पाश्चात्य सभ्यता व चाल-चलन और उनके शर्म व हया से आज़ाद फ़ैशन को अपना ले, तो उससे न सिर्फ़ वह खुद बरबाद होती है बल्कि ख़ानदान और पूरे समाज को डुबो देती है।

इसलिये घर ख़ानदान और समाज को तबाही से बचाने के लिये ज़रूरी है कि औरतें अपनी ज़िन्दगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ बनायें। "बनाव-सिंगार और फ़ैशन" उनका पैदाईशी हक़ है। मगर इसमें भी अख़्लाक़ी और शरई हदों और सीमाओं से आगे बढ़ना उनके लिये हरगिज जायज़ नहीं है।

इस सिलसिले में हमारे क़ाबिले क़द्र, सलीक़ामन्द, नेक व सालेह, शगुफ़्ता मिज़ाज व खुश-अख़्लाक़ साथी मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद कमालुद्दीन अहमद राशिदी साहिब ने

मुसलमान औरतों के लिये यह बहुत ही दिलचस्प और मुफ़ीद किताब लिखी है। उनकी यह किताब देखकर दिल खुशी से बाग़-बाग़ हो गया। यह अपनी तरह की पहली और अलग क़िस्म की किताब है, और इसके मक़बूले आम होने का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हफ़्ते के मामूली समय में इसका पहला संस्करण ख़त्म हो गया, मगर मर्द व औरतों की तलब बढ़ती ही जा रही है।

किताब के क़ाबिल लेखक ने सराहनीय काम किया है। उम्दा अन्दाज़ और सलीक़े से इसे तरतीब दिया है। किताब की हुस्ने तरतीब और लिखने का अन्दाज़ क़ाबिले मुबारकबाद है। नये-नये और अनोखे पेश आने वाले मसाईल पर तहक़ीक़ी और इत्मीनान बख़्श बहस की है, और हर मसले को कुरआन व हदीस और फ़िक़्हे (मसाईल की किताबों) की रोशनी में निहायत मोतबर हवालों के साथ तहरीर किया है। ये तमाम मसाईल औरतों के लिये बहुत ही अहम हैं। इसलिये इस किताब का हर पढ़ी-लिखी ख़ातून (औरत) के पास होना और इसको बराबर पढ़ते रहना ज़रूरी है।

इस किताब के लेखक एक क़ाबिल शख़्स हैं। उन्होंने इस्लामियात में और भी कई किताबें लिखी हैं। इस नौजवान

के दीगर क़ाबिले क़द्र इल्मी कारनामे और तहक़ीक़ी तस्नीफ़ात (किताबें) देखकर दिल ख़ुशी से झूम उठा और ख़ुलूसे दिल से उनके लिये दुआ़यें निकलीं। अल्लाह तआ़ला उनकी इन बेशक़ीमती ख़िदमात को क़बूल फ़रमाये और उन्हें और ज़्यादा इल्मी और तहक़ीक़ी काम करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये, और सेहत व आ़फ़ियत के साथ उनकी उम्र में इज़ाफ़ा फ़रमाये, आमीन।

असग़र अली रब्बानी

दारुल् फ़तावा जामिया दारुल् उलूम कराची

प्रस्तावना

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام علىٰ سيد المرسلين
محمد واله وصحبه أجمعين.

अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ और रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद अ़र्ज़ है:

इस फ़ैशन भरे और फ़ितनों से पुर दौर में इनसानी ज़िन्दगी का कोई गोशा (क्षेत्र) ऐसा नहीं है जहाँ ख़ुराफ़ात और बुराईयाँ दाख़िल न हो गई हों। नाच-गाने, टी.वी., वी. सी. आर, और डिश ऐन्टीना ने तो हर तरफ़ तहलका मचा रखा है। और इन्हीं ख़ुराफ़ात के साथ-साथ फ़ैशन-एबल यूरोपीय लेडीज़ और नायकाओं की पैरवी में हमारे बड़े-बड़े इ़ज़्ज़तदार और शरीफ़ ख़ानदानों की औ़रतें भी इस नंगी गंगा में बह गई हैं।

नये-नये ब्यूटी पार्लर और नये से नये फ़ैशन की वबा ने हर तरफ़ शोर बरपा कर रखा है। हसीन व ख़ूबसूरत नज़र आना और बनाव-सिंगार करना औ़रतों का फ़ितरी हक़ है, मगर इसमें शरई हदों और सीमाओं से बाहर

निकलना और अल्लाह तआ़ला और उसके रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बताये हुए तरीक़ों से मुँह मोड़ना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। औ़रतों को बनाव- सिंगार और ज़ैब व ज़ीनत इख़्तियार करने में शरई तक़ाज़ों का लिहाज़ रखना चाहिये, और इस बात का ख़्याल करना चाहिये कि उनके किसी तर्ज़े-अ़मल (काम और उसके करने के तरीक़े) से अल्लाह तआ़ला और उसके रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नाराज़ न हों। और अपने हाथों से अपनी आख़िरत को बरबाद करना कोई अ़क़्लमन्दी नहीं है।

मैंने अपनी इज़्ज़तदार माँओं और प्यारी बहनों की आसानी के लिये, बनाव-सिंगार की रिवाजी उन ज़्यादातर सूरतों को बयान कर दिया है जो शरई तौर पर नाजायज़ और शरीअ़त के ख़िलाफ़ हैं, और साथ-साथ उन तरीक़ों पर भी तफ़सील से रोशनी डाली है जो शरीअ़त के हिसाब से जायज़ और दुरुस्त हैं।

मोहतरम औ़रतो! आप से उम्मीद है कि आप इन मसाईल को ग़ौर से पढ़ेंगी और इनके मुताबिक़ अ़मल करने की भरपूर कोशिश करेंगी। क्योंकि इसी में आपकी दुनिया व आख़िरत की कामयाबी और भलाई है।

अल्लाह जल्ल शानुहू से दुआ़ है कि वह आपको और

हम सब को दीन इस्लाम के अहकाम के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

दुआओं का इच्छुक

मुहम्मद कमालुद्दीन अहमद राशिदी

दारुल् फ़तावा जामिया

दारुल् उलूम कराची १४

१० ज़िलहिज्जा १४२० हिजरी

बनाव-सिंगार और इस्लाम

ज़ैब व ज़ीनत और बनाव-सिंगार औरत का पैदाईशी हक़ है। मेकअप करना और बनाव-सिंगार करना औरत के लिये उसकी फ़ितरत के ऐन मुताबिक़ है। क्योंकि हर औरत तबई तौर पर हसीन व जमील होना पसन्द करती है। हर औरत चाहती है कि वह ख़ूबसूरत नज़र आये।

इस्लाम औरत की इस फ़ितरी ख़्वाहिश का मुख़ालिफ़ नहीं है। अलबत्ता वह यह ज़रूर चाहता है कि इसको कुछ उसूलों और हदों के अन्दर रहकर किया जाये। और इसका मुज़ाहरा (प्रदर्शन) हर तरफ़ से समेट कर सिर्फ़ एक रुख़ पर, एक मर्द के सामने ही किया जाये। वही मर्द जो उसका जीवन-साथी और ज़िन्दगी का हम-सफ़र है।

हर क़िस्म की ज़ीनत और हर क़िस्म की ख़ुशबू उसी शौहर के लिये इस्तेमाल की जाये। इसलिये कि हदीस शरीफ़ में आया है:

> "जो औरत इत्र लगाकर बाहर निकले और उसका गुज़र ऐसे लोगों पर हो जो उसकी ख़ुशबू को महसूस करें तो वह औरत ज़िनाकार (जैसी गुनाहगार) होगी।" (मुस्नद अहमद ४-४१४)

औरत अगर रास्ते और बाज़ारों में ख़ुशबू लगाकर

चले, जो कि दूसरों से संपर्क बढ़ाने और उन्हें अपनी तरफ़ दावत देने का निहायत लतीफ़ ज़रिया है। और इससे आ़म अख़्लाक़ी उसूल भी प्रभावित होते हैं।

इसलिये इस्लाम किसी मुसलमान औ़रत को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि रास्तों और ख़ासकर मर्दों की महफ़िल के पास से खुशबू में अच्छी तरह बसकर उसका गुज़र हो।

"क्योंकि हुस्न व ख़ूबसूरती छुप सकती है लेकिन इत्र और खुशबू को कौन रोक सकता है? खुशबू फ़िज़ा में घुलकर आगे बढ़ेगी और इससे मर्दों के जज़्बात ज़रूर भड़केंगे।"

वास्तविकता यह है कि इन क़ीमती नसीहतों से बेपरवाही और ग़फ़लत ने बेशुमार झगड़े, लड़ाईयाँ और मियाँ-बीवी के दरमियान मनमुटाव और अ़लैहदगी पैदा कर रखी है। इसलिये औ़रतों को रिवाजी फ़ैशन और ख़िलाफ़े शरीअ़त बनाव-सिंगार की बुरी वबा से बचना ज़रूरी है।

ब्यूटी पार्लर के नुक़सानात

ब्यूटी पार्लरों में जाने और नये-नये ईजाद कर्दा फ़ैशन इख़्तियार करने से औ़रतों के चेहरे, जिस्म और बालों का फ़ितरी और क़ुदरती हुस्न ख़त्म हो जाता है और इससे बहुत से नुक़सानात भी होते हैं। इस सिलसिले में क़ाहिरा

मैडिकल कालिज के प्रोफ़ेसर डाक्टर अ़ब्दुल-मुनईम साहिब की तहरीर बड़ी विचारनीय है। वह लिखते हैं कि:

"इस तरह ब्यूटी पार्लर जाकर बालों की सैटिंग करवाना, यूरोप के लिहाज़ से फ़ैशन की तरह विभिन्न रंगों से उन्हें रंगना, बालों को झाड़ने और उनके अन्दर घुंगरियाला पन पैदा करने के लिये विभिन्न ग़ैर-फ़ितरी तरीक़े इस्तेमाल करना, जिससे बाल जल्दी गिर जाते हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिनमें ऐसे माद्दे भी शामिल होते हैं जो बालों के लिये सख़्त नुक़सानदेह होते हैं, किसी भी औ़रत के लिये ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। क्योंकि यह बालों के लिये सख़्त नुक़सानदेह (हानिकारक) है। औ़रतों को ऐसी ज़ैब व ज़ीनत (बनाव-सिंगार) इख़्तियार करने से बचना चाहिये।"

(तुम्हारा ख़ुसूसी मुआ़लिज)

हमारी बहुत सी औ़रतों को यह मालूम भी नहीं है कि उनके सर के बालों को खींच-तान कर रखने के क्या-क्या नुक़सानात हैं? क्योंकि बालों को खींच-तान कर रखने का मतलब यह है कि उनकी जड़ों पर ज़ोर डाला जाये और ख़ून की एक विशेष मात्रा को बालों की जड़ों में पहुँचने न दिया जाये। जिससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल जल्दी गिर जाते हैं। जिसका यह नतीजा होता है कि ब्यूटी पार्लरों में, फ़ैशन, हेयर कटिंग, थ्रिडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग करवाकर.......और आई ब्रूज़ और अपर लियूज़

बनवाकर बन-ठनकर निकलने वाली औरत चन्द दिनों तक बज़ाहिर बहुत अच्छी भली लगेगी, लेकिन उसके बाद जूँ-जूँ इसका असर ख़त्म होता जाता है फिर पच्चीस साल की नौजवान औरत अगर पचास साल की नहीं तो चालीस साल की ज़रूर लगती है। और गुनाह का यह असर ज़रूर होता है कि शौहर के दिल में मुहब्बत के बजाये उसकी तरफ़ से नफ़रत बैठती रहती है।

बेहया औरतों से सिंगार करवाना

और ख़ास तौर से ब्यूटी पार्लर में सिंगार करने वाली जो औरतें होती हैं, वे अक्सर बेनमाज़ी और बेपर्दा, आज़ाद ख़्याल, अल्लाह तआला के अहकाम से बाग़ी और रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नाराज़ करने वाली औरतें होती हैं, जिनमें बहुत सी बार काफ़िर औरतें भी होती हैं। (1)

और ये ऐसी औरतें होती हैं जिनके शौहर खुद ही उन से बेज़ार हैं और वे खुद अपने शौहरों से बेज़ार होकर इन

(1) किताब के लेखक चूँकि इस्लामी मुल्क "पाकिस्तान" के रहने वाले हैं। इसलिये उन्होंने यह लिख दिया कि उन सिंगार करने वालियों में बाज़ी औरत काफ़िर भी होती है, जबकि हमारे देश भारत में तो ज़्यादातर औरतें काफ़िर (ग़ैर-मुस्लिम) ही होती हैं, मुसलमान कम ही होती हैं। इसी से ब्यूटी पार्लरों के शरई हुक्म का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

कामों पर लग गई हैं। तो क्या वे दूसरी औ़रतों को ऐसा तैयार करेंगी जिससे वे अपने शौहर की हो जायें? कभी भी नहीं! बल्कि मुसलमान औ़रतों के लिये ऐसी बेहया और गुनाहगार औ़रतों को अपने जिस्म पर हाथ भी नहीं लगाने देना चाहिये।

मर्दों से सिंगार करवाना हराम है

और अगर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले मर्द हों या उनका वहाँ आना-जाना हो तो फिर उसके हराम होने और उस पर खुदा की लानत बरसने में क्या शुब्हा बाक़ी रह जायेगा?

ब्यूटी पार्लर में जाकर ऐसी बेहया, बेशर्म और गुनाहगार औ़रतों से अपने को संवरवाना और उनसे सिंगार करवाना मुसलमान औ़रतों के लिये किसी तरह भी मुनासिब नहीं। बल्कि घर पर ही जो कुछ हो सके उससे अपने आपको सजाना-संवारना चाहिये। इसी में उनके लिये दुनिया व आख़िरत दोनों जहान की भलाई और कामयाबी है।

बनाव-सिंगार में फ़ुज़ूलख़र्ची

सजना-संवरना और बनाव-सिंगार ज़रूर कीजिये लेकिन उसमें इतना भी हद से आगे न बढ़िये कि अपने बजट का

भी ख़्याल न रहे, और अपने वालिद (बाप) या अपने शौहर के ख़ून पसीने की कमाई को बेदर्दी से ज़ाया कर दें। और नये-नये फ़ैशन के कपड़े और महंगे-महंगे ज़ेवरात कम से कम ऐसे हालात में तो इस्तेमाल न करें जबकि आपकी दूसरी मुसलमान बहनें सूखी रोटी के लिये भी तरस रही हों।

औरतों ख़ुसूसन नौजवान लड़कियों ने ग़ैर-क़ौमों को देखकर ऐसे-ऐसे ख़र्चे बढ़ा लिये हैं कि न वे ज़रूरी ख़र्च हैं, न उन पर ज़िन्दगी मौक़ूफ़ है। फ़ैशन की बला ऐसी सवार हुई है और ज़ाहिरी टीपटाप इतनी बढ़ा रखी है कि जितनी भी आमदनी हो सब कम पड़ जाती है, और क़र्ज़ पर क़र्ज़ चढ़ता चला जाता है।

फ़ैशन की ये बेजा ज़रूरतें जो यूरोप वालों ने निकाल दी हैं, मुसलमान औरतों के लिये किसी तरह भी उनके ख़्याल में पड़ना और उनको इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। उनकी अंधी पैरवी (अनुसरण) में यह हाल बन गया है कि देखने में खुशहाल, दिल में परेशान। आमदनी अच्छी-ख़ासी मगर गुज़ारा मुश्किल। इत्मीनान और बेफ़िक्री का नाम नहीं।

मुहब्बत के जोश में लड़कियों की परवरिश शुरू ही से इस तरह करती हैं कि बचपन ही से उनको ज़्यादा ख़र्चों की आदी बना देती हैं, और वे फ़ैशन की इस क़द्र शौक़ीन

बन जाती हैं कि शादी के बाद शौहर पर बोझ बन जाती हैं। शौहर की सारी आमदनी फ़ैशन, लिबास और ज़ेवर की भेंट चढ़ जाती है। आख़िरकार फिर आपस में झगड़े और मनमुटाव ज़ाहिर होने लगता है, और ज़्यादा बनाव-सिंगार की अ़ादत डालने से तिलावते कुरआन पाक, दुरूद व इस्तिग़फ़ार, दीनी मालूमात में लगने की फ़ुरसत भी नहीं मिलती।

फिर असल सजावट तो बातिन यानी दिल व रूह की सजावट और पाकीज़गी है, जिस्म व लिबास की उम्दगी, सजावट भी उसी वक़्त भली मालूम होती है जब दिल सुथरा, अख़्लाक़ अच्छे, अ़ादतें पाकीज़ा हों। अख़्लाक़ गन्दे और ज़ाहिर अच्छा, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे गन्दगी को रेशम में लपेट कर रख दिया जाये। यह भी समझना चाहिये कि ज़रूरत उसको कहते हैं जिसके बग़ैर ज़िन्दगी दूभर हो जाये। ख़ूब समझ लीजिये और अपने ख़र्चों का जायज़ा ले लीजिये। हर तुके-बेतुके ख़र्च को ज़रूरत में शामिल कर लेना अ़क़्लमन्दी नहीं है।

याद रखिये!

"ऐसी नादान और फ़ुज़ूलख़र्च औ़रतों की गोदों में ऐसे फूल नहीं खिला करते और ऐसी टहनियों पर ऐसे क़ीमती परिन्दे नहीं बैठा करते। ऐसी इनसानियत की क़ातिल मुंढेर पर बैठकर

चहचहाने वाली मीनायें अपना सुरीला नग़मा दुनिया को नहीं सुनाया करतीं। ऐसे नाफ़रमान व खुदग़र्ज़ गुलदस्तों में सुलतान नूरुद्दीन ज़ंगी और सुलतान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे गुलाब नहीं खिला करते। ऐसी खुदग़र्ज़ और दूसरों के हुकूक़ से लापरवाही करके ब्यूटी पार्लरों की कुर्सी पर बैठने वाली के पालने में उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रहमतुल्लाहि अ़लैहि जैसे नहीं सोया करते। खुदा की नेमतों के नाक़द्रदान टीलों और चोटियों पर ख़नसा रहमतुल्लाहि अ़लैहा व हमना बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हा का रंग नहीं भरा जा सकता। ऐसी उदास सड़कों पर और बंजर इलाक़ों में मुहम्मद बिन क़ासिम रहमतुल्लाहि अ़लैहि व उक़्बा बिन नाफ़ेअ़ रहमतुल्लाहि अ़लैहि नहीं आया करते।

ऐसी बेपर्दा फिरने वालियों और अपने जिस्म के अंगों की बेबाकी के साथ नुमाईश करने वालियों की छातियों से तारिक़ बिन ज़ियाद व टीपू सुलतान दूध नहीं पिया करते। ऐसी रात की रानियों के गुनचों में ऐसे सुगंधित खुशबुओं वाले तारिक़ बिन ज़ियाद, मुहम्मद फ़ातेह, जिनकी खुशबू से पूरी इस्लामी दुनिया झूम उठती है, अपनी ख़ुशबूएँ ऐसी माओं को नहीं सुंघाया करते।"

प्यारी माँओं और बहनो!

आज के रिवाजी फ़ैशन की जिस राह पर आप अग्रसर हैं वह मुसलमान औ़रतों के लिये ज़ेब नहीं देता। मुसलमान औ़रतों को चाहिये कि ज़ैब व ज़ीनत (सजने-संवरने) के वे

तरीक़े अपनायें जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ हों। और अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इरशाद की हदों और सीमाओं में हों।

इसलिये औ़रतों के लिये यह जानना निहायत ही ज़रूरी है कि ज़ैब व ज़ीनत (बनाव-सिंगार) के कौनसे तरीक़े शरीअ़त के ख़िलाफ़ हैं और कौनसे तरीक़े शरीअ़त के मुताबिक़ हैं। ताकि वे ख़िलाफ़े शरीअ़त बातों से बच सकें, और शरई हदों में रहते हुए अपना बनाव-सिंगार का फ़ितरी अ़मल कर सकें।

आगे उन्हीं तरीक़ों को ज़रा तफ़सील के साथ ज़िक्र किया जाता है। उनको ग़ौर से पढ़ें और उसके मुताबिक़ अ़मल करने की कोशिश करें। इसी में आपके दीन व दुनिया दोनों जहान की बेहतरी और कामयाबी यक़ीनी है।

फ़ैशन की हदें और सीमाएँ

औ़रतों को बनाव-सिंगार से मुताल्लिक़ तीन बातें बुनियादी तौर पर ज़ेहन में रखनी चाहियें।

१. जिन चीज़ों की शरीअ़त में क़तई तौर पर मनाही है उन्हें करना किसी सूरत में भी औ़रत के लिये जायज़ नहीं है। चाहे शौहर या कोई और उनको करने के लिये कहे, या

न करने की सूरत में वह उससे नाराज़ हो जाये। क्योंकि हदीस शरीफ़ में आया है कि:

لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.

यानीः अल्लाह तआला की नाफ़रमानी में किसी मख़्लूक़ की इताअत जायज़ नहीं।

२. जो चीज़ें शरई हदों में हैं और जायज़ के दर्जे में हैं उनमें गुन्जाईश के अनुसार शौहर की मुकम्मल इताअत (फ़रमाँबरदारी) करना औरत के ज़िम्मे है। हदीस शरीफ़ में आया है:

"अगर मैं किसी को किसी के लिये सज्दा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर के लिये सज्दा करे।" (जमउल् फ़वाईद १: ३६१)

दूसरी हदीस में इरशाद है:

"अगर कोई आदमी अपनी बीवी को हुक्म दे कि सुर्ख़ पहाड़ से पत्थर उठाकर काले पहाड़ और काले पहाड़ से पत्थर उठाकर सुर्ख़ पहाड़ पर ले जाये तो उसे यही करना चाहिये।"

(जमउल् फ़वाईद १: ३६१)

सिंगार न करने पर तंबीह और डाँट-डपट

शौहर के चाहने के बावजूद बीवी अगर सफ़ाई-सुथराई और ज़ैब व ज़ीनत इख़्तियार न करे (यानी अपने को

ठीक-ठाक न रखे) तो शौहर के लिये बीवी को तंबीह करने का शरई हक़ हासिल है। चुनाँचे हकीमुल्-उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली साहिब थानवी रहमतुल्लाहि अ़लैहि लिखते हैं:

"एक हक़ मर्द का यह है कि अपनी सूरत बिगाड़ कर मैली-कुचैली न रहा करे। बल्कि बनाव-सिंगार से रहा करे। यहाँ तक कि अगर मर्द के कहने पर भी औ़रत बनाव-सिंगार न करे तो मर्द को मारने का इख़्तियार है।"

(बहिश्ती ज़ेवर मुदल्लल् पेज ३३८)

औ़रत को बनाव-सिंगार पर सवाब मिलेगा

३. औ़रत शरई हदों और सीमाओं में रहकर जो कुछ बनाव- सिंगार करे उसका मक़सद शौहर को ख़ुश करना हो, न कि दूसरी औ़रतों और नामेहरम मर्दों को दिखाना और इतराना। अगर शौहर को ख़ुश करने के लिये बनाव-सिंगार करेगी तो इन्शा-अल्लाह इस पर उसको सवाब भी मिलेगा चाहे दूसरी औ़रतें उसे देखकर ख़ुश हों या नाराज़।

फ़ख़र के लिये बनाव-सिंगार दुरुस्त नहीं

अलबत्ता अगर इतराने और नामेहरम मर्दों या दूसरी औ़रतों को दिखाने और उन पर फ़ख़र (इतराने और घमण्ड) करने की नीयत से कपड़े पहनेगी और बनाव-सिंगार करेगी तो गुनाहगार होगी। इसलिये इन बातों से बचना ज़रूरी है।

ज़्यादा बनाव-सिंगार शरीअ़त की निगाह में पसन्दीदा नहीं

याद रखिये! ज़्यादा बन-ठनकर रहना शरीअ़त में पसन्दीदा नहीं है। शौहर वाली औ़रत ज़रूरत के मुताबिक़ बनाव-सिंगार कर ले, यह ठीक है। लेकिन बनाव-सिंगार को मुस्तक़िल एक मश्ग़ला बना लेना और तरह-तरह के तरीक़े उसके लिये सोचना और उसके लिये मुस्तक़िल चीज़ें ख़रीदना और ज़ेहन को हर वक़्त उसमें उलझाये रखना मोमिन के मिज़ाज के ख़िलाफ़ है। जिनको नेक आमाल और अच्छे अख़्लाक़ से सजना हो उनके पास इतनी फ़ुरसत कहाँ कि बनावट और ग़ैर-ज़रूरी सजावट में वक़्त ख़र्च करें और पैसा भी ज़ाया करें।

ये तीन बुनियादी बातें ज़ेहन में बिठा लेने के बाद फ़ैशन की राईज (जिन चीज़ों और तरीक़ों का रिवाज चल रहा है) सूरतों में से कौनसी सूरत जायज़ है और कौनसी सूरत नाजायज़, इस बारे में शरीअ़त के मुफ़स्सल (विस्तृत) अहकाम निम्न प्रकार से हैं।

सर के बाल कटवाना

औ़रतों का अपने सर के बालों को कटवाना, कतरवाना या फ़ैशन के तौर पर छोटे करवाना चाहे सामने की तरफ़ से हो या दाईं-बाईं ओर से हो, या पीछे की तरफ़ से हो, यानी किसी भी तरफ़ से हो, मर्दों के जैसी शक्ल व सूरत बनाने की वजह से नाजायज़ और गुनाह है। हदीस शरीफ़ में इसकी सख़्त मनाही की गयी है। चुनाँचे रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमायाः

"अल्लाह तआ़ला की लानत हो उन मर्दों पर जो औ़रतों की मुशाबहत इख़्तियार करते (यानी लिबास या अपने रंग-ढंग से उन जैसी शक्ल व सूरत बनाते) हैं। और उन औ़रतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख़्तियार करती (यानी लिबास या अपने रंग-ढंग से उन जैसी शक्ल व सूरत बनाती) हैं।"

(बुख़ारी शरीफ़ व अबू दाऊद शरीफ़)

लिहाज़ा औ़रतों के लिये सर के बालों को कटवाना जायज़ नहीं। अगरचे शौहर इसके लिये कहे तब भी ऐसा

करना उनके लिये जायज़ नहीं। क्योंकि अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी में शौहर की इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) जायज़ नहीं। ऐसी सूरत में औ़रत को चाहिये कि मुहब्बत व अदब के साथ इनकार कर दे, और शौहर को शरई हुक्म से आगाह कर दे और नर्मी से समझा दे। उम्मीद है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से शौहर भी शरई हुक्म पर अ़मल करेगा, और शरीअ़त के ख़िलाफ़ अ़मल करने पर ज़िद नहीं करेगा।

बेबी-कट बाल रखना

औ़रतों के लिये बेबी-कट बाल रखना बिल्कुल जायज़ नहीं। लिहाज़ा इससे परहेज़ करना लाज़िमी है।

सर के बाल कतरना

बालों के काटने का हुक्म तो ऊपर लिख दिया गया है, और तराशने (कतरने) का हुक्म भी यही है कि महज़ फ़ैशन के तौर पर औ़रतों के लिये बालों को तराशना जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर बालों के सिरों में शाख़ें निकल आयें जिसकी वजह से बालों में गिरहें पड़ जाती हों तो उन सिरों को तराशने (कतरने) की गुन्जाईश है। या जो बाल उमूमन ऊपर नीचे हो जाते हैं उनको सिर्फ़ नीचे से बराबर करने के लिये मामूली तौर पर कतरने की गुन्जाईश है।

बालों को डिज़ाईन व फ़ैशन से संवारना

औरतों के लिये सर के बालों को काटे बग़ैर विभिन्न डिज़ाईन और फ़ैशन से संवारना जायज़ है, अलबत्ता इसमें लिखी गयी बातों का ख़ास ख़्याल रखना बहरहाल ज़रूरी है:

१. उससे काफ़िर और बदकार औरतों की मुशाबहत इख़्तियार करना (यानी अपने को उन जैसा बनाना) मक़सद न हो।

२. महज़ अपना या अपने शौहर का दिल खुश करने के लिये ऐसा कर लिया जाये।

३. इतना वक़्त उसमें ज़ाया न हो जिससे दूसरे ज़रूरी कामों में ख़लल पड़ता हो।

बढ़ाने के लिये बाल कटवाना

बाज़ी औरतों के बालों की चोटियों के ख़त्म पर बाल दो और तीन हिस्सों में सिरों की नोकों से तक़सीम हो जाते हैं, (यानी दो मुँहे या कई मुँहे बन जाते हैं) फिर बालों का बढ़ना बन्द हो जाता है। अगर उन बालों के सिरों को काट दिया जाये तो फिर बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में बालों को बढ़ाने के लिये बालों के सिरे मामूली तौर पर काटना बिला शुब्हा जायज़ है।

बीमारी और दर्द की वजह से

बाल कटवाना

अगर किसी औरत के सर में कोई बीमारी या दर्द वग़ैरह पैदा हो जाये और उसके सबब बालों का काटना ज़रूरी हो जाये तो फिर ऐसी हालत में मजबूरी की वजह से यानी शरई उज़्र की बिना पर बालों का काटना जायज़ है। लेकिन जैसे ही यह उज़्र ख़त्म हो जाये इजाज़त भी ख़त्म हो जायेगी, यानी उज़्र (मजबूरी) ख़त्म होने के बाद बालों का काटना जायज़ न होगा। (फ़तावा ख़ानिया ३:४०९)

छोटी लड़कियों के बाल कटवाना

बालिग़ या बालिग़ होने के क़रीब लड़कियों के बाल कटवाना तो जायज़ नहीं जैसा कि ऊपर तफ़सील से लिखा गया है। अलबत्ता ऐसी बच्चियाँ जो छोटी हों और जवान होने के क़रीब न हों, यानी जिनकी उम्र नौ साल से कम हो, तो ख़ूबसूरती या किसी और जायज़ मक़सद के लिये उनके बाल कटवाना जायज़ है। लेकिन काफ़िरों या बुरे लोगों के साथ इरादी तौर पर मुशाबहत इख़्तियार करने (यानी उनका स्टाईल अपनाने) से बचना चाहिये। क्योंकि

शरीअ़त में उन जैसों के साथ मुशाबहत इख़्तियार करने से सख़्त मना किया गया है।

बालों को ब्लीच करना और रंगना

ब्यूटी पार्लरों में औरतों के बालों को ब्लीच (Bleech) किया जाता है और फिर दूसरे रंग से रंगा जाता है, तो यह काम अगर शरई हदों में रहते हुए किया जाये तो शरीअ़त के हिसाब से इसमें कोई हर्ज नहीं है, और शरई सीमाओं की तफ़सील किताब के शुरू में बयान कर दी गई है।

भंवों को बारीक बनाना

आजकल औरतें भंवों को ख़ूबसूरत शक्ल देने के लिये आई ब्रो (Eyebrow) के आस-पास के चन्द बाल नोच लेती हैं। इस तरह भंवें ख़ूबसूरती से गोल लकीर सी बन जाती हैं। मक़सद इससे महज़ ख़ूबसूरती और ज़ीनत (सिंगार) है। लेकिन ऐसा करना शरीअ़त के हिसाब से जायज़ नहीं, क्योंकि जिस्म अल्लाह तआ़ला की अमानत है, जिसमें किसी शरई और फ़ितरी ज़रूरत के बग़ैर खुद-साख़्ता (अपनी बनाई हुई) तब्दीली दुरुस्त नहीं है।

इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम

ने ख़ूबसूरती के लिये दाँतों के दरमियान फ़सल (Gap) पैदा करने और जिस्म को गोदने या गुदवाने को नाजायज़, लानत का सबब और अल्लाह तआ़ला की बनाई हुई हालत को बदलने की संज्ञा दी है, और औरतों को अपने जिस्म से बाल नोचने की मनाही फ़रमाई है। चुनाँचे भंवों के बाल नोचकर बारीक लकीर सी बना लेना और दोनों भंवों के दरमियान फ़ासला करना जैसा कि आजकल इसका आ़म फ़ैशन है, सरासर नाजायज़ है। (मिश्कात शरीफ़ पेज ३८१)

शौहर को खुश करने के लिये भी ऐसा करना जायज़ नहीं। अलबत्ता भंवों के बाल अगर बहुत बढ़ गये हों तो उनको कतर कर या कतरवा कर कम करना बिला शुब्हा जायज़ है।

चेहरे के बाल साफ़ करना

चेहरे के बाल और रूएँ जो पेशानी (माथे) और मुँह पर होते हैं, उनको अगर नोचकर निकाला जाये तो चूँकि इसमें अपने जिस्म को बिला वजह तकलीफ़ देना है, इसलिये नोचकर निकालना मुनासिब नहीं, अलबत्ता अगर किसी पाऊडर वग़ैरह के ज़रिये साफ़ किया जाये तो इसकी गुन्जाईश है।

चेहरे से दाढ़ी-मूँछ साफ़ करना

बाज़ी औरतों के चेहरे पर दाढ़ी-मूँछ निकल आती हैं, तो उसको साफ़ करना न सिर्फ़ जायज़ बल्कि अफ़ज़ल और बेहतर है। अलबत्ता इन ज़ायद बालों को भी नोचकर निकालने में चूँकि बिला वजह अपने जिस्म को तकलीफ़ देना है। इसलिये नोचकर निकालना मुनासिब नहीं, किसी पाउडर वग़ैरह के ज़रिये साफ़ किया जाये तो दुरुस्त है।

होंठों के बाल साफ़ करना

अगर किसी औरत के होंठ के ऊपर बाल उग आये हों तो उन्हें दूर और साफ़ करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि उन्हें दूर करना औरत के हक़ में अफ़ज़ल और बेहतर है।

(फ़तावा शामी ६: ३७३)

अलबत्ता इन ज़ायद बालों को भी नोचकर निकालने में चूँकि बिला वजह जिस्म को तकलीफ़ देना है इसलिये नोचकर निकालना मुनासिब नहीं, किसी पाउडर वग़ैरह के ज़रिये साफ़ करना चाहिये।

हाथ-पाँव के बाल साफ़ करना

औरतों के लिये कलाईयों और पिण्डलियों के बालों को

साफ़ करना जायज़ है। इसलिये कि औ़रत के हक़ में ज़ीनत (बनाव- सिंगार) मतलूब है। तथा हाथ-पाँव के बाल साफ़ करने में असल जिस्मानी बनावट में कोई तब्दीली नहीं होती और इसमें कोई धोखा भी नहीं होता। इसलिये हाथ-पाँव के बाल साफ़ करना जायज़ है। (मिरक़ात ८: २१२)

अलबत्ता इन बालों को भी नोचकर साफ़ करने में चूँकि बिला वजह अपने जिस्म को तकलीफ़ देना है इसलिये नोचकर निकालना मुनासिब नहीं, किसी पाऊडर वग़ैरह से साफ़ करना चाहिए।

जिस्म गोदना, गुदवाना जायज़ नहीं

जिस्म गोदना या गुदवाना जायज़ नहीं हराम है। इसका तरीक़ा यह होता है कि किसी सूई वग़ैरह से खाल में गहरे गहरे निशान डाल कर उसमें सुर्मा या नील भरा जाता है। इस तरह जिस्म पर जानवरों या दीगर चीज़ों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। हदीस शरीफ़ में इस पर सख़्त वईदें (सज़ा की धमकियाँ) आई हैं। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐसी औ़रतों पर लानत फ़रमाई है।

(मिश्कात शरीफ़ पेज ३८१)

इसलिये औ़रतों के लिये इन नाजायज़ और ख़िलाफ़े

शरई बातों से बचना वाजिब है।

बालों में बाल मिलाना

इसी तरह औरतें ज़ैब व ज़ीनत (बनाव-सिंगार) के लिये और अपने बाल लम्बे या घने या फूले हुए ज़ाहिर करने के लिये दूसरे किसी मर्द या औरत के बाल लेकर अपने बालों में मिला लेती हैं। चूँकि इसमें धोखा और फ़रेब है इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसको सख़्त ना-पसन्द फ़रमाया और ऐसी औरतों पर लानत फ़रमाई। इसलिये औरतों के लिये इन नाजायज़ कामों से बचना ज़रूरी है।

चुनाँचे हदीस शरीफ़ में इरशाद है:

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ख़ुदा की लानत हो उस औरत पर (जो बालों को लम्बा या फूला हुआ बनाने के लिये दूसरे किसी मर्द या औरत के बाल) अपने बालों में या किसी और के बालों में मिला ले। और उस औरत पर भी ख़ुदा की लानत हो जो किसी से कहे कि दूसरे के बाल मेरे बालों में मिला दे। और फ़रमाया कि ख़ुदा की लानत हो उस औरत पर जो गोदने वाली है और गुदवाने वाली है।"

(मिश्कात शरीफ़ पेज १३८१)

बालों का विग लगाना

मौजूदा दौर में विग यानी बनावटी बालों का इस्तेमाल बहुत आ़म है। और नई साईंस ने इसमें भी काफ़ी तरक़्क़ी की है और नये-नये अन्दाज़ से बाल लगवाये जाने के तरीक़े ईजाद हो गये हैं। शरीअ़त के एतिबार से हम उन तरीक़ों को दो सूरतों में बयान कर सकते हैं।

1. इनसानी बालों का विग लगाना

हदीस शरीफ़ की रू से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इनसानी बालों का विग लगवाना बिल्कुल जायज़ नहीं, हराम है। चाहे विग के बाल मशीन के ज़रिये इस तरह लगवायें कि वे जिस्म के साथ मुस्तक़िल तौर पर चिपक (फ़िट हो) जायें और वे जिस्म से अलग न हो सकते हों, या इस तरह न लगवायें बल्कि आ़रज़ी (अस्थाई) तौर पर लगवायें कि जब चाहें उसे पहन लें और जब चाहें उसे उतार दें। इनमें से किसी सूरत में भी इनसानी बालों का विग लगवाना बिल्कुल जायज़ नहीं। (मिश्कात शरीफ़ ३८१)

2. जानवर के बालों या बनावटी बालों का विग

इनसान के अ़लावा किसी जानवर के बालों का विग या बनावटी बालों का विग लगाना और लगवाना शरई तौर पर जायज़ है। अगर इन बालों का विग जिस्म में मुस्तक़िल (स्थाई) तौर पर चिपकवा कर लगाया जाये तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, जायज़ है। और अगर मुस्तक़िल तौर पर न लगाया जाये बल्कि आ़रज़ी (अस्थाई) तौर पर लगाया जाये यानी जब चाहें लगा लें और जब चाहें उतार लें तो यह भी जायज़ है।

विग के बाल पर मसह और गुस्ल का हुक्म

अगर विग के बाल जिस्म के साथ मुस्तक़िल (स्थाई) तौर पर फ़िट हों जायें और वे जिस्म से अलग न हो सकते हों तो वुज़ू के दौरान उस पर मसह करना जायज़ है और इसी हालत में फ़र्ज़ गुस्ल भी दुरुस्त है। और अगर ये बाल जिस्म के साथ मुस्तक़िल चिपके हुए न हों बल्कि आ़रज़ी

(अस्थाई) हों कि जब चाहें लगा लें और जब चाहें हटा लें तो उस पर मसह जायज़ नहीं। और उन बालों के होते हुए अगर जिस्म तक पानी न पहुँचे तो ऐसी सूरत में फ़र्ज़ गुस्ल भी दुरुस्त नहीं होगा, ऐसी सूरत में उनको हटा कर सर पर मसह करना ज़रूरी है, और फ़र्ज़ गुस्ल में, गुस्ल से पहले उन को उतार कर गुस्ल करना ज़रूरी है।

(फ़तावा आ़लमगीरी ५: ३५८)

ऊँट के कोहान की तरह बाल बाँधना

औ़रतों के लिये अपने सर के बालों को ऊँट के कोहानों (कमर पर उभरे हुए हिस्से) की तरह बाँधना जायज़ नहीं। क्योंकि हदीस शरीफ़ में इसकी मनाही आई है। और फ़रमाया गया है कि जो औ़रतें ऊँट के कोहान (कमर पर उभरे हुए हिस्से) की तरह बाल बाँधेंगी वे जन्नत में दाख़िल न होंगी और न उसकी खुशबू पा सकेंगी। फिर फ़रमाया कि उस (जन्नत) की खुशबू इतनी इतनी दूर से सूँघी जाती है।

(मिश्कात शरीफ़ पेज ३०६)

जन्नत से मेहरूमी बहुत ही बदबख़्ती की बात है, इसलिये औ़रतों को इस तरह ऊँट के कोहान (ऊँट की कमर पर उभरे हुए हिस्से) की तरह बाँधने से परहेज़ करना

वाजिब है।

बालों को ऊपर या नीचे बाँधना

अलबत्ता अगर औरत अपने बालों को इकट्ठा करके सर के ऊपर या नीचे की तरफ़ बाँध ले जैसा कि आम तौर पर बाँधे जाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ऐसा करने वाली औरत उक्त हदीस की वईद (धमकी) में दाख़िल नहीं। क्योंकि ज़िक्र हुई हदीस की वईद (डाँट और धमकी) ऐसी औरतों के बारे में है जो अपने बालों को ऊँट के कोहान (ऊँट की कमर पर उभरे हुए हिस्से) की तरह मर्दों को अपनी तरफ़ माईल करने की ग़र्ज़ से बनायें और नंगे सर फिरें।

दाँतों को बारीक करना

हुस्न और ख़ूबसूरती के लिये दाँतों को किसी तरह घिस कर बारीक करना और दाँतों के दरमियान कुशादगी (खुली जगह) निकालने की कोशिश करना नाजायज़, मना और क़ाबिले लानत चीज़ों में शामिल है। ऐसा करने से अल्लाह की पैदा की हुई शक्ल व सूरत में अपनी तरफ़ से अदल-बदल करना लाज़िम आता है जो बहुत ही बुरा और ना-पसन्दीदा काम है, और सख़्त वर्जित (मना किया हुआ)

और बुरा है, और लानत का काम है। हदीस शरीफ़ में इरशाद है:

"ख़ुदा की लानत हो उन औरतों पर जो हुस्न के लिये दाँतों के दरमियान कुशादगी (Gap) करती हैं, जो अल्लाह की बनाई हुई शक्ल को बदलने वाली हैं।" (बुख़ारी शरीफ़)

मेकअप करना

औरत को चाहिये कि वह अपने शौहर के सामने अपनी सूरत बिगाड़ कर और मैली-कुचैली न रहा करे। बल्कि साफ़-सुथरी और बनाव-सिंगार से रहा करे और इस मक़सद के लिये शरई सीमाओं में रहते हुए औरत के लिये मेकअप करना, पाऊडर, क्रीम और इसी तरह मेकअप की दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ है।

मेकअप के ग़ैर-मुल्की सामान का हुक्म

बनाव-सिंगार और मेकअप में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें बाहर मुल्कों से आती हैं- जैसे पाऊडर, क्रीम, लिपिस्टिक, लोशन, नील-पॉलिश वग़ैरह, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी तैयारी में ख़िन्ज़ीर (सुअर) की चर्बी या मुर्दार जानवरों की चर्बी वग़ैरह शामिल की जाती है, जो कि शरीअ़त के मुताबिक़ हराम है। इसलिये यह सवाल पैदा

होता है कि क्या शरई तौर पर इन चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ होगा या नहीं?

इस सवाल का जवाब यह है कि इन चीज़ों के बारे में अगर यह बात यक़ीनी तौर पर मालूम हो कि उनके अन्दर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिनका इस्तेमाल शरई तौर पर हराम है (जैसे सुअर की चर्बी या मुर्दार जानवर की चर्बी वग़ैरह) और यह भी यक़ीन से मालूम हो कि इन नाजायज़ और नापाक चीज़ों (चर्बी वग़ैरह) को किसी कीमियावी अ़मल के ज़रिये उनकी हक़ीक़त व माहियत को तब्दील नहीं किया गया है, तो ऐसी सूरत में उन चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ नहीं। उनके इस्तेमाल से बचना वाजिब है। क्योंकि ये चीज़ें हराम और नापाक हैं।

और अगर उनमें हराम चीज़ों के इस्तेमाल किये जाने का यक़ीन न हो, बल्कि महज़ शक हो कि शायद इनमें किसी हराम चीज़ को इस्तेमाल किया गया हो, तो महज़ शक की बुनियाद पर इन चीज़ों का इस्तेमाल नाजायज़ नहीं होगा।

और अगर इन चीज़ों में हराम और नापाक चीज़ों को शामिल करना यक़ीनी हो मगर साथ-साथ यह भी यक़ीनी तौर पर मालूम हो कि इन चीज़ों के मिलाये जाने के बाद किसी कीमियावी अ़मल के ज़रिये उनकी हक़ीक़त व माहियत

(यानी असल शक्ल व सूरत और हालत) बदल गई है तो ऐसी सूरत में उन चीज़ों का बाहरी इस्तेमाल जायज़ है।

(फ़तावा शामी जिल्द १ पेज ३१६)

लिपिस्टिक का इस्तेमाल

आजकल औरतें अपने लबों (होंठों) पर जो लिपिस्टिक इस्तेमाल करती हैं, उसके इस्तेमाल के बारे में शरई हुक्म में कुछ तफ़सील है, और वह यह कि अगर वह लिपिस्टिक ऐसी हो कि उसके इस्तेमाल से ऐसी तह न जम जाती हो कि जिसके होते हुए वुज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल में जिस्म तक पानी न पहुँचता हो, बल्कि उसके होते हुए भी वुज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल में जिल्द (खाल) तक पानी अच्छी तरह पहुँच जाता हो, तो उसका इस्तेमाल जायज़ है।

और अगर उसके इस्तेमाल से ऐसी तह जम जाती हो कि जिसके होते हुए वुज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल में जिस्म तक पानी न पहुँचता हो, तो उसके इस्तेमाल से वुज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में औरत को पाकी, वुज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल की ज़रूरत के वक़्त उसको लगाना जायज़ नहीं, क्योंकि जब वुज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल न होगा तो पाक कैसे होगी और नमाज़ कैसे पढ़ेगी?

अलबत्ता अगर उसके इस्तेमाल से वुज़ू, फ़र्ज़ गुस्ल

और नमाज़ वग़ैरह में कोई ख़लल न आता हो, यानी वुज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल से पहले उसे अच्छी तरह साफ़ करके वुज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल कर लें, तो फिर कोई भी औ़रत अपनी ख़ूबसूरती के लिये या बीवी अपने शौहर का दिल खुश करने के लिये उसे लगा सकती है और शरई तौर पर यह उसके लिये जायज़ है।

पलकों पर रंग लगाना

पलकों पर जो रंग लगाया जाता है या आई ब्रो (Eyebrow) लगाया जाता है, अगर वह वुज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल में जिस्म तक पानी पहुँचने से रोकने वाला (बाधक) नहीं है, तो उसका इस्तेमाल जायज़ है। और अगर उसे लगाने के बाद जिस्म तक पानी नहीं पहुँचता तो उसका हुक्म नाख़ुन पालिश का सा है, जो आगे ज़िक्र किया जा रहा है।

नील-पॉलिश का इस्तेमाल

नील-पॉलिश का इस्तेमाल या उस जैसी वे चीज़ें जिनके इस्तेमाल से ऐसी तह जम जाती हो कि उसके होते हुए जिल्द (खाल) तक पानी नहीं पहुँचता, तो उन्हें पाकी, वुज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल की ज़रूरत के वक़्त लगाना जायज़ नहीं।

क्योंकि उसके होते हुए वुज़ू और फ़र्ज़ ग़ुस्ल नहीं होता, और जब वुज़ू और फ़र्ज़ ग़ुस्ल नहीं होगा तो औरत पाक नहीं होगी, इसलिये उसकी नमाज़ भी नहीं होगी।

अलबत्ता अगर इन चीज़ों के इस्तेमाल से ऐसी तह न जमती हो कि उसके होते हुए पानी जिस्म तक पहुँचने में रुकावट हो, या ऐसी तह जम जाती हो मगर वुज़ू और फ़र्ज़ ग़ुस्ल से पहले उन्हें अच्छी तरह साफ़ करके वुज़ू और फ़र्ज़ ग़ुस्ल कर लें, तो फिर औरत के लिये उसका लगाना जायज़ है। लेकिन औरतों के लिये मुनासिब यह है कि वे ऐसी फ़ुज़ूल चीज़ों की आदत न डालें जिनसे आगे चल कर नमाज़ वग़ैरह में ख़लल पैदा होने और मुआशरत (सामाजिक ज़िन्दगी) में ग़ैर-मुस्लिमों और बुरे लोगों की मुशाबहत पैदा होने (यानी उन जैसा दिखने) की संभावना हो।

लम्बे नाख़ुन रखना और तराशना

नाख़ुनों को ख़ूबसूरत बनाने के लिये उनमें तराश-ख़राश का अमल जायज़ है। लेकिन बहुत सी औरतों में यह रिवाज पाया जाता है कि वे लम्बे-लम्बे नाख़ुन रखती हैं और उनको नहीं कटवातीं। जबकि सुन्नत अमल यह है कि हर हफ़्ते में एक बार नाख़ुन कटवाये जायें, और अगर इससे ताख़ीर (देरी) हो जाये तो पन्द्रह दिन के अन्दर-

अन्दर काटना चाहिये, और इससे भी देरी हो जाये तो ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन तक की देरी और विलंब की गुन्जाईश है। इससे ज़्यादा ताख़ीर (देरी) करना और लम्बे-लम्बे नाखुन रखना जायज़ नहीं, गुनाह है। लिहाज़ा औरतों को इससे बचना चाहिये। (फ़तावा आलमगीरी ५:३५७)

नाख़ुन काटने का तरीक़ा

नाखुन काटना अपने आप में सुन्नत है और इसमें कोई मख़्सूस तरीक़ा मसनून नहीं है, और जिस तरह भी काटे जायेंगे सुन्नत अदा हो जायेगी। लेकिन बाज़ दीन के आलिमों ने फ़रमाया कि इसमें बेहतर तरीक़ा यह है कि दाएँ हाथ की सब्बाबा (अंगूठे के बराबर वाली) उंगली से शुरू करे और इसी हाथ के अंगूठे पर ख़त्म करे। और दाएँ पैर की छोटी उंगली से शुरू करे और बाएँ पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करे।

साथ ही यह कि जुमा के दिन जुमा से पहले नाखुन काटना बेहतर और अच्छा है। तथा रात को भी नाखुन काटना जायज़ है। और नाख़ुन काटने के बाद उसे बैतुलख़ला (लैट्रीन) और गुस्लख़ाने के अलावा दूसरी जगह फेंकना जायज़ है, अलबत्ता दफ़न कर देना बेहतर है।

(फ़तावा आलमगीरी ५: ३५७)

डिज़ाईन से मेहंदी लगाना

औरतें जो अपने हाथों से मेहंदी लगाती हैं, जैसे आजकल डिज़ाईन और फ़ैशन के मुताबिक़ लगाई जाती है, और बहुत सी बार हाथों की पुश्त पर भी ख़ास डिज़ाईन से मेहंदी लगाई जाती है, तो औरतों के लिये यह सब जायज़ है। बल्कि हाथ और पाँव पर सिंगार के लिये मेहंदी लगाना उनके लिये बेहतर और अफ़ज़ल है। (मिश्कात पेज १३८३)

ख़ास डिज़ाईन और फ़ैशन के साथ मेहंदी लगाई जाये तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, दुरुस्त है। लेकिन इसमें ज़्यादा वक़्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं।

महलूल और कोण मेहंदी लगाना

आजकल बाज़ारों में कोण मेहंदी और मेहंदी से तैयार शुदा महलूल, मेहंदी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। औरतों के लिये इसका इस्तेमाल जायज़ है। मेहंदी और महलूल की तह उतारने के बाद वुज़ू और गुस्ल दुरुस्त हो जाता है, क्योंकि उसके बाद मेहंदी का सिर्फ़ रंग बाक़ी रह जाता है जो वुज़ू और गुस्ल में जिस्म तक पानी पहुँचने में बाधक नहीं होता। (फ़तावा शामी पेज १५४)

उबटन लगाना

शादी-विवाह के मौक़े पर लड़की को उबटन लगाने का रिवाज है और शरीअ़त के एतिबार से इसमें कोई हर्ज भी नहीं। यानी लड़की को उबटन लगाना अपने आप में जायज़ है, लेकिन इस मौक़े पर जो दूसरी ख़राबियाँ और ग़लत रस्में होती हैं जैसे फ़ोटो खींचना, बेपर्दगी, अजनबी मर्दों और औ़रतों का सामना और उनसे मिलाप, मूवी बनाना और फ़ुज़ूलख़र्ची वग़ैरह, ये सब बातें नाजायज़ और हराम हैं। इसलिये इन नाजायज़ बातों से बचना ज़रूरी है।
अलबत्ता इन तमाम ख़राबियों और बुराईयों से बचकर उबटन लगाया जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं।

काला ख़िज़ाब लगाना

औ़रतों के लिये अपने बालों को काला करने या बालों को ख़ूबसूरत बनाने की ग़र्ज़ से ख़िज़ाब या दूसरे कीमियावी मुरक्कबात (बनी हुई चीज़ें), जैसे काला कोला, काली मेहंदी या दूसरे बालों के रंग (हेयर कलर्ज़) लगाने के बारे में शरई हुक्म में कुछ तफ़सील है। और वह यह है कि ख़ालिस सियाह रंग के अ़लावा दूसरे रंगों का ख़िज़ाब लगाना औ़रत के लिये बिला शुब्हा दुरुस्त है। और सुर्ख़ ख़िज़ाब, ख़ालिस

हिना या कुछ सियाही माईल जिसमें कतम शामिल किया जाता हो, औ़रत के हक़ में मसनून (सुन्नत) भी है।

और जहाँ तक ख़ालिस सियाह रंग के ख़िज़ाब और ख़ालिस सियाह रंग के दूसरे कीमियावी बालों के रंगों (हेयर कलर्ज़) का ताल्लुक़ है, तो इससे अगर अपने आपको कम उम्र और जवान ज़ाहिर करके किसी को धोखा देना मक़सूद हो तो यह बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। और अगर इससे किसी को धोखा देना मक़सूद न हो बल्कि मियाँ-बीवी का मामला हो और शौहर को खुश करने के लिये बीवी उसकी ख़्वाहिश पर बतौर सिंगार ख़ालिस सियाह रंग का ख़िज़ाब लगाये, तो इसकी भी गुन्जाईश है। बाज़ उलेमा ने इसकी इजाज़त दी है। (मिरक़ात जिल्द ८ पेज ३०४)

सोने चाँदी का इस्तेमाल

औ़रतों को ज़ेवर से बहुत ज़्यादा मुहब्बत होती है और यह बात मशहूर है कि अगर औ़रत के जिस्म में हर जगह सोने की कील गाड़ दी जाये तो सोने की मुहब्बत की वजह से ज़रा भी तकलीफ़ महसूस नहीं करेगी। दीने इस्लाम फ़ितरत के मुताबिक़ है, नफ़्स की ख़्वाहिशों की भी रियायत रखी है। मगर इसमें एतिदाल (दरमियानी राह) ज़रूरी है,

और इसके लिये सीमायें भी मुक़र्रर फ़रमा दी हैं। और ऐसे क़ानून लागू फ़रमा दिये हैं जो इनसान को गुरूर, तकब्बुर, शैख़ी, दूसरों को कमतर समझने, अपने को अच्छा और बड़ा समझने और ख़ुदा की मख़्लूक़ का दिल दुखाने और हक़ तल्फ़ी से बाज़ रखते हैं। अगर किसी औरत को हलाल माल से मयस्सर हो तो सोने और चाँदी दोनों का ज़ेवर पहनना उसके लिये बिला शुब्हा जायज़ है।

दिखावे के लिये ज़ेवर पहनने की मनाही

अलबत्ता रियाकारी और दिखावे के लिये सोने के ज़ेवरात नहीं पहनना चाहिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि:

> "जो औ़रत ज़ाहिर करने के लिये सोने का ज़ेवर पहनेगी, इसकी वजह से उसको अ़ज़ाब दिया जायेगा।"

ज़ेवर दिखाने का मर्ज़ औ़रतों में बहुत होता है और अगर किसी को पता न चले तो मज्लिस में बैठे हुए तरकीबों और तदबीरों से बताती हैं कि हमने ज़ेवर पहना हुआ है। जैसे बैठे-बैठे गर्मी का बहाना करके एक दम कान और गला खोल देंगी, ज़बान से कहेंगी ऊई कितनी गर्मी है और दिल में ज़ेवर ज़ाहिर करने की नीयत है। अल्लाह

तआला नफ़्स की मक्कारियों से बचाये। आमीन

ज़ेवर न पहनना बेहतर है

बहरहाल उक्त ख़राबियाँ न हों तो औरतों को ज़ेवर पहनने की गुन्जाईश है, मगर न पहनना फिर भी अफ़ज़ल और बेहतर है। दुनिया में न पहनेंगी तो आख़िरत में बहुत मिलेगा। चुनाँचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

"अगर तुम जन्नत के ज़ेवर और रेशम को चाहते हो तो उनको दुनिया में मत पहनो।" (मिश्कात शरीफ़ पेज ३७९)

बजने वाला ज़ेवर पहनने की मनाही

जिस तरह औरतों का जिस्म देखना मर्दों के लिये जिन्सी (सैक्सी) उभार का सबब बनता है, उसी तरह उनकी आवाज़ और उनके जिस्म पर सजे ज़ेवर की आवाज़ भी मर्दों में जिन्सी उकसाव पैदा करती है। इसके अलावा आगे आ रही हदीसों से यह बात वाज़ेह (स्पष्ट) होती है कि बजने वाला ज़ेवर और घुंघरू और घन्टियाँ शैतान को पसन्द हैं, और ये शैतान के बाजे हैं। जब उनमें से आवाज़ निकलती है तो वह खुश होता है। और जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ रहमत के फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।

इन हदीसों को सामने रखते हुए दीन के आ़लिमों ने लिखा है कि ऐसा ज़ेवर जिसके अन्दर ख़ोल में बजने वाली चीज़ें पड़ी हुई हों उसके पहनने की शरई इजाज़त नहीं है। जैसे- पुराने ज़माने में झाँझर होते थे, और इसके अ़लावा भी कई चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं। देहात में अब भी इस तरह के ज़ेवरात का रिवाज है और शरीअ़त के एतिबार से यह सब मना है।

हदीस शरीफ़ में है:

"हज़रत लुबाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मैं हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास हाज़िर थी। उस वक़्त यह वाक़िआ पेश आया कि एक औ़रत एक लड़की को साथ लिये हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास अन्दर आने लगी। वह लड़की झाँझर (पाँव का एक ज़ेवर) पहने हुए थी। जिनसे आवाज़ आ रही थी। हज़रत आ़यशा ने फ़रमाया कि जब तक इसके झाँझर न काटे जायें इसको मेरे पास हरगिज़ न लाना। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि: जिस घर में घन्टी हो उसमें (रहमत के) फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।" (मिश्कात पेज ३७६)

दूसरी हदीस में है:

"घन्टियाँ शैतान के बाजे हैं।" (मिश्कात पेज ३३८)

एक और हदीस में इरशाद है:

"हर घन्टी के साथ शैतान होता है।" (मिश्कात पेज ३७९)

एक हदीस में हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि:

"अल्लाह तआला घुंघरूओं की आवाज़ ऐसे ही ना-पसन्द करता है जैसे गाने की आवाज़। और अल्लाह तआला गाने वाले को वैसी ही सज़ा देगा, जैसी कि मौसीक़ी से लगाव रखने वाले को देगा। और आवाज़ वाले घुंघरू तो सिर्फ़ वही औरत पहन सकती है जो अल्लाह की रहमत से दूर हो।" (फ़िरदौस, दैलमी)

और जिस ज़ेवर में बजने वाली चीज़ न हो मगर ज़ेवर आपस में एक दूसरे से मिलकर बजता हो, उससे भी मना किया गया है। चुनाँचे इसके बारे में कुरआन हकीम में यह इरशाद है:

"और अपने पाँव (चलने में ज़मीन पर) ज़ोर से न मारें ताकि उनकी वह ज़ीनत (सिंगार) मालूम हो जाये जिससे वे पोशीदा तौर पर सजी हुई हैं।" (सूरः नूर आयतः ३१)

प्लास्टिक और दूसरी धातों के ज़ेवर पहनना

आजकल बनावटी (आर्टीफ़ीशल) चीज़ों का दौर है। नक़ली ज़ेवरात जो कि प्लास्टिक, सिक्का, ऐल्मूनियम वग़ैरह

चीज़ों को मिलाकर तैयार होते हैं, और उन ज़ेवरात पर सोने या चाँदी का पानी चढ़ाया जाता है, ऐसे ज़ेवरात का इस्तेमाल औ़रतों के लिये जायज़ है।

चूड़ियाँ पहनना

इसी तरह प्लास्टिक और दूसरी धातों की चूड़ियाँ पहनना भी औ़रतों के लिये जायज़ है। लेकिन चूड़ियाँ ख़रीदने के लिये औ़रतों का बग़ैर शरई पर्दा बाज़ारों में जाना और दुकानों का चक्कर लगाना बिल्कुल नाजायज़ और सख़्त गुनाह है। इसके अ़लावा मर्द दुकानदारों के साथ हंसी-मज़ाक़ करना और उनके हाथों से चूड़ियाँ पहनना और उनके लिये पहनाना निहायत बेशर्मी और सख़्त गुनाह है। इसलिये औ़रतों और दुकानदार दोनों के लिये ज़रूरी है कि इन ख़िलाफ़े शरीअ़त बातों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें।

सोना-चाँदी

और दूसरी धातों की अंगूठी पहनना

औ़रतों के लिये सोना और चाँदी की अंगूठी पहनना तो बिला शुब्हा जायज़ है, अलबत्ता सोना और चाँदी के

अ़लावा दूसरी धातों की अंगूठी पहनना औ़रतों के लिये जायज़ नहीं। (फ़तावा आ़लमगीरी जिल्द ५ पेज ३३५)

और औ़रतों के लिये प्लास्टिक की अंगूठी पहनना जायज़ है या नहीं? इसके मुताल्लिक़ दीन के आ़लिमों (फ़ुक़हा-ए-किराम) की कोई स्पष्ट इबारत तो नहीं मिली, अलबत्ता उसूल और फ़ुक़हा-ए-किराम की तहरीरों के उमूम से इसकी भी मनाही मालूम होती है, इसलिये इससे भी बचना चाहिये।

नगीने में ख़ास पत्थर का इस्तेमाल

अंगूठी में हर क़िस्म के पत्थर का लगाना जायज़ है। और अगर किसी ख़ास पत्थर या चाँदी की अंगूठी जो किसी ख़ास क़िस्म की हो, जिसे पहनने में किसी बीमारी की सेहत और शिफ़ा तर्जुबे से साबित हो, तो इसी ग़र्ज़ से उसको इस्तेमाल करना जायज़ है।

लेकिन पत्थर के बारे में यह अ़क़ीदा रखना चाहिये कि पत्थर में यह तासीर हक़ तआ़ला ने पैदा कर दी है और फिर जिस वक़्त चाहता है हक़ तआ़ला उन तासीरों को नाफ़िज़ (लागू और असरदार) करता है, चीज़ों का इसमें कोई दख़ल, तसर्रुफ़ और तासीर नहीं। अल्लाह तआ़ला ही उसमें असर पैदा करता है। यही अ़क़ीदा पत्थर और अंगूठी

के बारे में रखना बहरहाल ज़रूरी है। (फ़तावा रशीदिया ९३)

नाक और कान में सुराख़ करवाना

औरतों के लिये ज़ेवरात पहनने के लिये कान और नाक में सुराख़ करवाना जायज़ है और इस मक़सद के लिये एक से ज़ायद सुराख़ करवाना भी जायज़ है।

(फ़तावा आ़लमगीरी जिल्द ५ पेज ३५७)

लॉकिट पहन कर

बैतुलख़ला या गुस्लख़ाने में जाना

जिस लॉकिट पर अल्लाह तआ़ला का नाम खुदा हुआ या लिखा हुआ हो उसको पहन कर बैतुलख़ला (शौचालय) और नापाक या गन्दे गुस्लख़ाने में जाना और गुस्ल करना बेअदबी है। ऐसी सूरत में लॉकिट बाहर उतार कर जाना चाहिये। अलबत्ता जो गुस्लख़ाना पाक व साफ़ हो उसमें यह लॉकिट पहन कर जाने में कोई हर्ज नहीं।

(फ़तावा आ़लमगीरी)

कलाई-घड़ी पहनना

औरतों के लिये हर क़िस्म की कलाई घड़ी पहनना जायज़ है।

ख़ुशबू इस्तेमाल करना

औरतों के लिये ख़ुशबू इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन हदीस शरीफ़ में मर्दों और औरतों की ख़ुशबू में फ़र्क़ बताया गया है। यानी मर्द ऐसी ख़ुशबू लगायें जिससे कपड़े पर रंग न लगे या हल्का सा रंग लग जाये मगर ख़ुशबू तेज़ हो जो दूसरों तक पहुँच रही हो। जैसे इत्र गुलाब, मुश्क, अंबर, काफ़ूर वग़ैरह लगा लें। और औरतों की ख़ुशबू ऐसी हो जिसका रंग कपड़ों पर ज़ाहिर हो जाये मगर ख़ुशबू बहुत ही मामूली हो, जो ख़ुद अपनी नाक तक पहुँच सके, या शौहर क़रीब हो तो उसको ख़ुशबू आ जाये।

एक हदीस में फ़रमाया गया है कि जो औरत ख़ुशबू लगा कर मर्दों की मज्लिस पर गुज़रेगी और लोगों को उसकी ख़ुशबू आयेगी तो उस औरत का यह अमल ज़िना में शुमार होगा।

१. पहली हदीस यह है:

"हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमायाः मर्दों की खुशबू ऐसी हो जिसकी खुशबू ज़ाहिर हो, यानी दूसरों को भी पहुँच रही हो। और उसका रंग पोशीदा हो। और औ़रतों की खुशबू ऐसी हो कि जिसका रंग नज़र आ रहा हो और खुशबू पोशीदा हो (यानी बहुत मामूली खुशबू आ रही हो)।"

२. दूसरी हदीस यह हैः

"हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि (बुरी नज़र डालने वाली) हर आँख ज़िनाकार है, और कोई औ़रत जब इत्र लगाकर (मर्दों की) मज्लिस के क़रीब से गुज़रे तो ऐसी वैसी है, यानी ज़िनाकार (और बुरी) है।"

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

एक और हदीस में हैः

"हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद नक़ल करती हैं कि जो कोई औ़रत खुशबू लगाकर घर से निकलती है और मर्द उसे देखते हैं, अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त उससे बराबर नाराज़ रहते हैं यहाँ तक कि वह अपने घर वापस आ जाये।" (तबरानी)

लिहाज़ा इन हदीसों की रोशनी में तेज़ खुशबू इस्तेमाल करने से औ़रतों को सख़्त परहेज़ करना लाज़िम है, ताकि वे इस सख़्त वईद (सज़ा की धमकी और डाँट) से महफ़ूज़ रह सकें। अल्लाह तआ़ला हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाये।

ख़ुशबू व सिंगार के साथ निकलने की मनाही

आजकल जो औरतें बनाव-सिंगार करके और ख़ुशबू लगा कर मर्दों की महफ़िलों में बिना झिझक शरीक होती हैं, और महफ़िल की जान बल्कि शमा-ए-महफ़िल शुमार होती हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें आज के बद-बातिनों (बुरे और बदकार लोगों) के बिल्कुल उलट नूरे महफ़िल और शमा-ए- महफ़िल के बजाये, ज़ुल्मते महफ़िल और अंधेरा (यानी महफ़िल का अंधेरा) क़रार दिया है। चुनाँचे इरशाद है:

"हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद नक़ल करती हैं कि उस औरत की मिसाल जो शौहर के सिवा दूसरों के लिये बनती-संवरती हैं, क़ियामत के दिन उस अंधेरे की तरह है जिसमें कुछ रोशनी नहीं।" (तबरानी)

प्रफ़्यूम इस्तेमाल करने का हुक्म

आजकल बाहर मुल्कों से बने हुए विभिन्न और अनेक क़िस्म के प्रफ़्यूम (Perfumes) सेंट और इत्र वग़ैरह आते हैं और उनमें "अलकोहल" (Alcohol) यानी

इस्पिरिट भी शामिल होता है, तो उनका इस्तेमाल जायज़ होने या न होने के बारे में शरई हुक्म में कुछ तफ़सील है। और वह यह कि "अलकोहल" अगर खजूर या अंगूर की शराब से बना हुआ हो तो वह नापाक है इसलिये उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं। और अगर वह खजूर या अंगूर के अलावा किसी और पाक चीज़ की शराब से बना हुआ हो तो वह पाक है और उसका ख़ारजी (बाहरी) इस्तेमाल शरीअ़त की रू से जायज़ है।

और आजकल प्रफ़्यूमों (Perfumes) में 'अलकोहल' इस्तेमाल होता है वह आ़म तौर पर खजूर या अंगूर की शराब से बना हुआ नहीं होता, बल्कि दूसरी मुख़्तलिफ़ क़िस्म की चीज़ों जैसे मकई, जवार, गन्दुम, बेर, आलू, चावल या पैट्रोल वग़ैरह से बना हुआ होता है। लिहाज़ा ऐसा प्रफ़्यूम शरई तौर पर नापाक नहीं होता, और उसके लगाने से कपड़ा नापाक नहीं होगा। इसलिये उसका इस्तेमाल जायज़ है। और अगर किसी ने ऐसा प्रफ़्यूम कपड़ों पर लगाकर नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज़ अदा हो गई, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं।

नाफ़ के नीचे के बालों की सफ़ाई

यह भी एक शरई मसला है। इसलिये इसको यहाँ

बयान किया जाता है। हदीस शरीफ़ में आया है कि दस चीज़ें फ़ितरत की ख़स्लतों में से हैं। उनमें से एक चीज़ नाफ़ के नीचे के यानी फ़ालतू बालों की सफ़ाई है। उन ज़ायद बालों को हफ़्ते में एक बार साफ़ करना बेहतर है। अगर इससे ताख़ीर (देरी) हो जाये तो पन्द्रह दिन के अन्दर साफ़ करना चाहिये, और अगर इससे भी देरी हो जाये तो ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन तक की ताख़ीर (देरी) की गुन्जाईश है। इससे ज़्यादा ताख़ीर करना जायज़ नहीं, गुनाह है। इसलिये चालीस दिन से पहले-पहले इन ज़ायद बालों को साफ़ कर लेना चाहिये।

इन ज़ायद (फ़ालतू और अतिरिक्त) बालों की सफ़ाई में औ़रत के हक़ में बेहतर यह है कि वह उनकी सफ़ाई चूने, पाऊडर, क्रीम, चुटकी या चिमटी वग़ैरह से करे, ब्लैड या उस्तुरे वग़ैरह का इस्तेमाल औ़रत के हक़ में बेहतर नहीं, ख़िलाफ़े औला है। लेकिन अगर किसी औ़रत ने ब्लैड या उस्तुरे वग़ैरह का इस्तेमाल किया हो, अगरचे यह औ़रत के हक़ में अच्छा नहीं है लेकिन नाजायज़ नहीं।

(फ़तावा शामी ६: ४०६)

ऊँची ऐड़ी वाले जूते पहनना

शरीअ़त में औरतों को मर्दों के साथ मुशाबहत (यानी शक्ल व सूरत में समानता) इख़्तियार करने से मना किया गया है। इसलिये औरतों के लिये मर्दाना जूता पहनना इस मुशाबहत की वजह से जायज़ नहीं। और जो जूते औरतों के लिये बनाये गये हैं, उर्फ़े आ़म और रिवाज में वे जूते औरतों ही के लिये समझे जाते हों तो वे जूते औरतों के लिये पहनना बिला शुब्हा जायज़ है। चाहे उसकी ऐड़ी ऊँची हो या नीची, और चाहे आगे से बन्द हों या खुले। असल दारोमदार उर्फ़ व रिवाज पर है। यानी जिन जूतों को रिवाज में मर्दों के लिये समझा जाता हो उन जूतों का इस्तेमाल औरतों के लिये जायज़ नहीं, और जो जूते उर्फ़ व रिवाज में मर्दों के लिये मशहूर न हों तो उनका इस्तेमाल औरतों के लिये जायज़ है। हदीस में है:

"इब्ने अबी मुलैका का बयान है कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से किसी ने अ़र्ज़ किया कि एक औरत मर्दाना जूता पहनती है, हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमायाः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐसी औरत पर लानत फ़रमाई है जो मर्दों के तौर-तरीक़े इख़्तियार करे।"

(अबू दाऊद जिल्द २ पेज २१०)

ये चन्द अहम और ज़रूरी शरई मसाईल किसी क़द्र तफ़सील और विस्तार के साथ, इस उम्मीद पर लिख दिये गये हैं कि हमारी सम्मानित मायें और प्यारी बहनें इन पर अ़मल करने की कोशिश करेंगी तो इन्शा-अल्लाह तआ़ला इससे उनकी दुनिया व आख़िरत संवर जायेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला तमाम मुसलमान औ़रतों को इसकी तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये। आमीन

وصلى الله تعالىٰ على النبى الخاتم وآله وصحبه اجمعين.

दुआ़ओं का मोहताज

मुहम्मद कमालुद्दीन अहमद राशिदी

दारुल इफ़्ता जामिया दारुल् उलूम कराची

१० ज़िलहिज्जा १४२० हिजरी